उत्तर प्रदेश शासन

नागरिक सुरक्षा अनुभाग

संख्या- /659/छ:ना0सु0-15-11 प्रकीर्ण /02

लखनऊ: दिनांक: 30 सितम्बर, 2015

अधिसूचना

नागरिक सुरक्षा अधिनियम-1968 (अधिनियम संख्या-27 सन् 1968) की धारा 4 की उपधारा (1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करते हुए राज्यपाल, जनपद बागपत एवं मुज़फ्फर नगर के लिये व्यक्तियों के एक निकाय का गठन करते हैं, जिसे नागरिक सुरक्षा कोर बागपत एवं नागरिक सुरक्षा कोर मुज़फ्फर नगर कहा जायेगा और क्रमश: बागपत एवं मुज़फ्फर नगर के जिलाधिकारी को उक्त कोर का समादेशन करने के लिये नियंत्रक नियुक्त करते हैं।

2- उपरोक्त अधिनियम की धारा 17 के खण्ड (क) के अधीन राज्यपाल अग्रेतर निदेश देते हैं कि जिलाधिकारी बागपत एवं मुज़फ्फर नगर उपरोक्त अधिनियम की धारा 4 की उपधारा (1) और नागरिक सुरक्षा नियमावली, 1968 के नियम 19 के उपनियम (1) के अधीन शक्ति का प्रयोग करने के लिये प्राधिकृत होंगे।

(संजीव दूबे)

प्रमुख सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- महानिदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, गृह मंत्रालय, भारत सरकार, ईस्ट ब्लाक-**VII** लेवल-7, आर0के0पुरम, नई दिल्ली।
2- निदेशक, नागरिक सुरक्षा निदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ।
3- जिलाधिकारी मुज़फ्फर नगर/बागपत।
4- जलाधिकारी/नियंत्रक, नागरिक सुरक्षा नगर (लखनऊ/कानपुर नगर/मथुरा/झांसी/आगरा/बरेली/मुरादाबाद/मेरठ/सहारनपुर/गाजियाबाद/नरौरा/ (बुलन्दशहर) /वाराणसी/मुगलसराय (चन्दौली)/गोरखपुर/इलाहाबाद।
5- वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक/पुलिस अधीक्षक, मुज़फ्फर नगर/बागपत।
6- संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्राणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस अनुरोध के साथ प्रेषित कि वह कृपया इस अधिसूचना, दिनांक 30 सितम्बर, 2015 को असाधारण गजट के विधायी परिशिष्ट के भाग-4 के खण्ड (ख) में प्रकाशित कर उसकी 200 प्रतियां नागरिक सुरक्षा अनुभाग, उ0प्र0 शासन को उपलब्ध कराने का कष्ट करें।
7- महालेखाकार, उ0प्र0, इलाहाबाद।
8- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(जी0पी0 कमल)
संयुक्त सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

Uttar Pradesh Shasan
Nagrik Suraksha Anubhag

In Pursuance of the provisions of clause [3] of article 348 of the Constitution, the Governor is pleased to order the publication of the following English translation of Notification no. 659/VI-CD/ 2015-IIprakeern/2002 dated 30 September, 2015

:Notification:

No. 659/VI.CD/2015-11prakeern 2002
LUCKNOW DATED: 30 September, 2015

In exercise of the powers under sub-section [1] of section 4 of the Civil Defence ACT, 1968 [Act no. 27 of 1968] the Governor is pleased to constitute for Muzaffar Nagar and Baghpat a body of persons to be called civil defence Corps, Muzaffar Nagar and Baghpat and to appoint the District Magistrate, Muzaffar Nagar and Baghpat respectively as the controller to command the said corps.

Under clause [a] of section 17 of the aforesaid Act, the Governor is further pleased to direct that the District Magistrate, Muzaffar Nagar and Baghpat shall be authorised to exercise the powers under sub-section [1] of section 4 of the aforesaid Act and sub-rule [1] of Rule 19 of the civil defence Rules, 1968

[SANJEEV DUBEY]
PRINCIPAL SECRETARY

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।